

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला-कोरबा (छ.ग.)

E-mail :dwcdkorba@gmail.com

Telephone : 07759-222618

क्रमांक / 3171 / मबावि / स्था. / 2026-27

कोरबा, दिनांक .../07/2026

- / / विज्ञापन / / -

सखी वन स्टॉप सेंटर कोरबा

के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं की स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग.शासन स्तर से जारी पत्र क्रमांक / 4077 / दिनांक 14.11.2022 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग. शासन स्तर से जारी पत्र क्रमांक / 10478 / दिनांक 27.11.2024 के अनुसार सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन मापदण्ड के अनुसार नवीन सृजित पदों (05) एवं रिक्त पदों (02) पर सेवा प्रदाताओं की भर्ती किया जाना है, जिसके लिए विज्ञापन दिनांक 09.07.2026 से 23.07.2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित है। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या	निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
1	साईको-सोशल काउंसलर	1	25780
2	पैरा लीगल कार्मिक / वकील	1	18420
3	पैरा मेडिकल कार्मिक	1	18420
4	कार्यालय सहायक	1	18420
5	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	3	11360

उपरोक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण जिले की वेबसाईट www.korba.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा छ.ग.

कोरबा, दिनांक 07 / 07 / 2026

पृ0क्र. / 3172 / म.बा.वि. / स्था. / 2026-27

प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला कोरबा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

DIO / nze
By

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा छ.ग.

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा छ.ग.

क्रमांक/3113/मबावि/स्था./2026-27

कोरबा, दिनांक 01/07/2026

- / विज्ञापन / -

“सखी वन स्टॉप सेंटर कोरबा अंतर्गत सेवाप्रदाताओं के पद पर भर्ती”

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 10478/माबावि/मसवि/सखी-4/24-25 नया रायपुर, दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मॉडल एवं मानव संसाधन की पूर्णतः आउटसोर्सिंग किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर कोरबा में दैनिक कार्यों का संचालन सभी संसाधन व्यक्तियों के लिए सेवाप्रदाता नियुक्त किया जाना है। इस हेतु एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क केवल पात्र महिला आवेदकों (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) से निम्नानुसार उल्लिखित कार्य/पदों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2026 से 23.07.2026 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

सखी वन स्टॉप सेंटर हेतु मानव संसाधन की पदवार संख्या का विवरण

क्र.	पदनाम	पद संख्या	निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में	रिमार्क
1	साईको-सोशल काउंसलर	1 पद (महिला)	25780/-	सेवा प्रदाता के रूप में चयन निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क
2	पैरा लीगल कार्मिक/वकील	1 पद (महिला)	18420/-	
3	पैरा मेडिकल कार्मिक	1 पद (महिला)	18420/-	
4	कार्यालय सहायक	1 पद (महिला)	18420/-	
5	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	3 पद (महिला)	11360/-	

- सभी पद महिला पद है। उक्त पद हेतु महिला उम्मीदवार ही आवेदन करें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे।

सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्तें

1. सखी वन स्टॉप सेंटर कोरबा के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व :-

S. No.	Post	No. of Posts	Qualification / Experience
1	Psycho-social Counsellor	01	• The service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in psychology/psychiatry/neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.
2	Para Legal Personnel/ Lawyer	01	• In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any woman having a degree in Law with legal training or knowledge of laws with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government women related project/programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years' experience of litigation in any court of law.
3	Para Medical Personnel	01	• In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.

क्रमशः.....



S. No.	Post	No. of Posts	Qualification / Experience
4	Office Assistant with computer knowledge	01	• The services could be outsourced to any woman who is a graduate with at least diploma in computers/IT etc. with a minimum of 3 years' experience in data management, process documentation and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/IT-based organizations.
5	Security Guard / Night Guard	03	• The services could be outsourced to any woman who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/state level. He/She should preferably be retired military/para-military personnel.

2. आयु सीमा:-

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानून अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छुट दे सकता है।
- 2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियुक्ति जारी पूर्ण कालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्राथमिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

क्रमशः.....



- 2.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- 2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं भर्ती को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- 2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.20 कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- 2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
- 3. नियुक्ति प्रक्रिया:-**
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत विज्ञापित सभी 07 पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती प्रक्रिया निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार मेरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे :-
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको Weightage देते अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

क्रमशः.....



- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार मेरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरीष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/3232/1538/सा./2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार यदि इनका चयन किसी पद पर कौशल परीक्षा के लिए होता है तो कौशल परीक्षा के दौरान समान अंक प्राप्त होने पर इन्हें प्राथमिकता दिया जावेगा।
- 3.11 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 02 के उक्त कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
4. नियुक्ति की अवधि:-
- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता की आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्ति मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवाप्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही समिति होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत उन पदों पर कार्यरत सेवाप्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

टीप:-

- चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन के विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.korba.cg.nic.in पर देखी जा सकती है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नम्बर का उल्लेख किया जावे, जाकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना की जानकारी दी जा सके।
- दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला कोरबा छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी /
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-(छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेत किये गए फोटो पर
हरताल जिराका
अपना नाम फोटो एवं
आदा आवेदन पत्र में
होना चाहिए धर्या
करे

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-
-दूरभाष / मोबाईल.....
- ईमेल आईडी :-.....
6. जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-.....
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :-.....
8. लिंग पुरुष/महिला :-
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति वर्ग
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :-.....
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :-
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि..... एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
13. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :-

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहें तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
3. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. 12वीं की अंकसूची।
5. स्नातक की अंकसूची।
6. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-.....

